RIICO

RIGHT TO INFORMATION → {प्रकोष्ठ}

विषयः– द्वितीय अपील संख्या CIC/JPR/A/102928/2019, 103113/2019----------- 103127/2019, श्री गौरव जैन बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि0, इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) में सूचना आयोग द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 की अनुपालना में।

सन्दर्भः–इकाई कार्यालय जयपुर (ग्रामीण) का पत्र दिनांक 15.11.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील श्री गौरव जैन बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि0, इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2020 के बिन्दु संख्या 14 के क्रम में इकाई कार्यालय जयपुर (ग्रामीण) से जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर सूचना आयोग के निर्देशानुसार रीको की वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

(एस0 पी0 शार्दुल)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं अतिरिक्त महाप्रबन्धक

उप महाप्रबंधक (आई टी/कम्प्यूटर)

टीप क्रमांक : आरटीआई/02/21–22/1874
दिनांक : 30 नवम्बर, 2021

संलग्नः उपरोक्तानुसार

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भीम BhIM भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट
एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
ईकाई कार्यालय : जयपुर (ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर (राज.) 302006
CIN - U13100RJ1969SGC001263
फोन : 0141-2212808 • फैक्स : 2211126
ई–मेल : jaipurrural@riico.co.in

क्रमांकः यू.(12)–3/आरटीआई/2021–22 2219

दिनांक 15/11/2021

सलाहकार (ए एण्ड एम),
रीको लि0, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर।

ACM(RTI)
18/11/2021

विषयः–श्री गौरव जैन बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, रीको लि0, इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) में सूचना आयोग द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 की अनुपालना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–द्वितीय अपील संख्या CIC/JPR/A/102928/2019, 103113/2019 ....
....103127/2019

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री गौरव जैन बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, रीको लि0, इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) में सूचना आयोग द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 14 में निगम प्रबन्धन को यह निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जावे एवं गठित कमेटी की रिपोर्ट अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए रीको की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाए।

रीको मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी की रिपार्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि इस रिपोर्ट को रीको की वैबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें, एवं की गई रिपोर्ट को रीको की वेबसाइट पर अपलोडेड की कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि अपीलार्थी को तद्नानुसार सूचित किया जा सके ।

सधन्यवाद।

भवदीय,
15/11/2021
(विपन मेहता)
क्षेत्रीय प्रबन्धक/
लोक सूचना अधिकारी

24 NOV 2021
1415

24/11/2021

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

RTI-1072
24/11/2021

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

97
(अनुच्छेद -1)
(23)

<u>द्वितीय अपील संख्या</u> CIC/JPR/A/102928/2019, 103113/2019, 103149/2019, 103148/2019, 103064/2019, 103063/2019, 103061/2019, 103053/2019, 103050/2019, 103049/2019, 103046/2019, 103044/2019, 103042/2019, 103040/2019, 103034/2019, 103102/2019, 103100/2019, 103099/2019, 103097/2019, 103096/2019, 103095/2019, 103093/2019, 103091/2019, 103122/2019, 103088/2019, 103087/2019, 103120/2019, 103119/2019, 103118/2019, 103116/2019, 103115/2019, 103121/2019, 103078/2019, 103076/2019, 103075/2019, 103074/2019, 103071/2019, 103067/2019, 103066/2019, 102943/2019, 102942/2019, 102941/2019, 102939/2019, 102937/2019, 102936/2019, 102935/2019, 103109/2019, 103106/2019, 103104/2019, 103103/2019, 103085/2019, 103084/2019, 103083/2019, 102953/2019, 103081/2019, 102952/2019, 103080/2019, 102950/2019, 102949/2019, 102961/2019, 102955/2019, 102972/2019, 102968/2019, 102965/2019, 102991/2019, 102986/2019, 102985/2019, 103007/2019, 103005/2019, 103002/2019, 102998/2019, 103017/2019, 103015/2019, 103014/2019, 103144/2019, 103146/2019, 103143/2019, 103142/2019, 103141/2019, 103136/2019, 103135/2019, 103134/2019, 103133/2019, 103132/2019, 103130/2019, 103129/2019, 103126/2019, 103125/2019, 103114/2019, 103043/2019, 103092/2019, 103086/2019, 103072/2019, 103070/2019, 103069/2019, 102940/2019, 103112/2019, 103111/2019, 103105/2019, 103079/2019, 103008/2019, 103001/2019, 102997/2019, 103026/2019, 103025/2019, 103138/2019, 103137/2019, 103128/2019, 103124/2019, 103123/2019, 102938/2019, 102929/2019, 103150/2019, 103065/2019, 103058/2019, 103057/2019, 103055/2019, 103052/2019, 103035/2019, 103062/2019, 103101/2019, 103098/2019, 103094/2019, 103090/2019, 103089/2019, 103117/2019, 103077/2019, 103073/2019, 103068/2019, 102934/2019, 102933/2019, 102932/2019, 102931/2019, 102930/2019, 103110/2019, 103108/2019, 103107/2019, 103082/2019, 102948/2019, 102946/2019, 102962/2019, 102960/2019, 102958/2019, 102957/2019, 102974/2019, 102971/2019, 102970/2019, 102967/2019, 102993/2019, 102990/2019, 102989/2019, 103004/2019, 102994/2019, 103013/2019, 103012/2019, 103010/2019, 103009/2019, 103147/2019, 103145/2019, 103140/2019, 103139/2019, 103131/2019, 103127/2019,

RPM-SPID
08.12.20
R-889
08/12/2020
SLO
JA(S)
8/12/20

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री गौरव जैन, 63/107, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर (राज.) 302020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक (इकाई प्रभारी), रीको लि. इकाई जयपुर (ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर (राज.)
द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005		
निर्णय		
दिनांक: 21/08/2020		

Authenticated

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

1. अपीलार्थी की ओर से श्री राजकुमार जैन, उपस्थित तथा कतिपय पत्र आदि प्रस्तुत किये गये, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री राधाकृष्ण गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अधिवक्ता श्री संतोष जैमन, उपस्थित तथा कतिपय पत्र आदि प्रस्तुत किये गये, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 10.11.2018 से पृथक–पृथक 163 आवेदन प्रस्तुत करते हुए आवेदनों में उल्लेखित 163 औद्योगिक इकाईयों के आवंटन पत्र की सत्यप्रति तथा इन इकाईयों में आवंटन से लेकर आज तक हुए आवंटन व आवंटी तथा औद्योगिक इकाई में उत्पादन की प्रकृति में हुए परिवर्तन (यदि हुए हो) की कार्यालय टिप्पणी की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाने की मांग की। प्रत्यर्थी के विनिश्चय से असंतुष्ट रहने तथा प्रथम अपील खारिज होने के कारण अपीलार्थी ने अन्ततः द्वितीय अपीलें आयोग में प्रस्तुत की।
5. द्वितीय अपीलों में अपीलार्थी को मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी ने वांछित सूचनाओं को तृतीय पक्ष की होने तथा इनमें कोई व्यापक जनहित नहीं होने के आधार पर अदेय बताया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी विधि के प्रावधानों का स्पष्ट व सही विवेचन नहीं कर आदेश पारित किया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 1(1) की उपधारा (घ)(ङ) एवं (ञ) सपठित धारा 11(1) का उल्लेख करते हुए प्रथम अपील खारिज की है जबकि वांछित सूचनाएं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों को की गई भूमि के आवंटन से संबंधित है जो लोकहित में आवंटित हैं। वांछित सूचनाएं प्रत्यर्थी से एक अन्य सूचना आवेदन के जरिये प्राप्त सूचना पर ही आधारित है तथा भूमि आवंटन 40 वर्ष पुराना है। ऐसे में 20 वर्ष पुरानी सूचना तो वैसे भी प्रकटन से छूट के दायरे में नहीं आती। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इन बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलें खारिज कर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

दी। अतः उन्हें सूचना दिलवाई जाएं तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए।

6. इन 163 अपीलों में समान प्रकृति की सूचनाएं तथा समान पक्षकार होने के कारण समस्त अपीलों की एक साथ सुनवाई कर एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।
7. आयोग द्वारा जारी नोटिसों के संदर्भ में प्रत्यर्थी ने सभी अपीलों में अलग-अलग अपीलोत्तर दिनांक 15.03.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सभी प्रकरणों में पत्र दिनांक 03.12.2018 द्वारा विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया। प्रत्यर्थी के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलें प्रस्तुत कीं जो दिनांक 24.01.2019 को खारिज की जा चुकी हैं। अतः द्वितीय अपीलें भी खारिज की जाएं।
8. आयोग में सुनवाई दिनांक 12.03.2020 को प्रत्यर्थी पक्ष ने निवेदन किया कि वांछित सूचनाएं अत्याधिक पुरानी हैं। जिन पत्रावलियों से सूचनाएं मांगी जा रही हैं वे उन्हें जिला कलक्टर व उद्योग केन्द्र से प्राप्त हुई है तथा व्यवस्थित नहीं है। उद्योगों के लिए जमीनों का आवंटन भी बहुत पुराना है। इसके बावजूद अपीलार्थी के हस्तगत एवं पूर्व में किए गए अन्य आवेदनों पर फाइलों को तलाशा गया, जो फाइलें मिली उनमें बिन्दु संख्या 1 के तहत जो भी आवंटन पत्र मौजूद थे उनकी प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान कर दी गई है। प्रत्यर्थी पक्ष ने यह भी आश्वस्त किया कि अपीलार्थी स्वयं कार्यालय आकर रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध है, उससे देय सूचनाएं देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपीलार्थी ने कुछ आवंटन पत्र मिलने की बात स्वीकारी परन्तु आपत्ति की कि प्रत्यर्थी जानबूझ कर पूर्ण सूचनाएं नहीं देना चाहता। उन्हें एक अन्य सूचना आवेदन पर एक सूची प्राप्त हुई थी जिसमें रीको को पत्रावलियों प्राप्त होने का अंकन है। पत्रावलियों से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की जमीनें जयपुर की प्राइम लोकेशन की बेशकीमती जमीनें हैं और उन्हें सुरक्षित करने के लिए ही वे सूचनाएं मांग रहे हैं जो व्यापक जनहित में हैं। यदि पत्रावलियां या उनके कागजात गायब हैं तो विभाग को दोषी अधिकारियों के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवानी

Authenticated
Raj. Information Commission

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया गया कि शपथ पत्र पर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के साथ जवाब प्रस्तुत करें। यह भी निर्देशित किया गया कि जो सूचनाएं और उपलब्ध हुई हैं वे अपीलार्थी को प्रदान की जाएं।

9. आयोग द्वारा पिछली पेशी पर दिए निर्देशों की पालना में प्रत्यर्थी ने दिनांक 11.08.2020 को शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्येक आवेदन/अपील में वांछित सूचनाओं का तथ्यात्मक विवरण देते हुए स्पष्ट किया कि कौनसी सूचनाएं उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को प्रदान कर दी गई हैं।

10. उक्त शपथ पत्र पर अपीलोत्तर एवं आज प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई के दौरान दिये गये विवरण के अनुसार कुल 163 पत्रावलियों में से 88 पत्रावलियों से संबंधित आवेदन पत्र की प्रतिलिपियां अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। उक्त पत्रावलियों की अपील संख्या निम्नानुसार हैः—,

क्र.सं.	अपील संख्या	क्र.सं.	अपील संख्या
1	103112/2019	45	102936/2019
2	103113/2019	46	102935/2019
3	103149/2019	47	103109/2019
4	103148/2019	48	103106/2019
5	103064/2019	49	103104/2019
6	103063/2019	50	103103/2019
7	103061/2019	51	103085/2019
8	103053/2019	52	103084/2019
9	103050/2019	53	103083/2019
10	103049/2019	54	102953/2019
11	103046/2019	55	103081/2019
12	103044/2019	56	102952/2019

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission
Jaipur

93 227

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

13	103042/2019	57	103080/2019
14	103040/2019	58	102950/2019
15	103034/2019	59	102949/2019
16	103102/2019	60	102961/2019
17	103100/2019	61	102955/2019
18	103099/2019	62	102972/2019
19	103097/2019	63	102968/2019
20	103096/2019	64	102965/2019
21	103095/2019	65	102991/2019
22	103093/2019	66	102986/2019
23	103091/2019	67	102985/2019
24	103122/2019	68	103007/2019
25	103088/2019	69	103005/2019
26	103087/2019	70	103002/2019
27	103120/2019	71	102998/2019
28	103119/2019	72	103017/2019
29	103118/2019	73	103015/2019
30	103116/2019	74	103014/2019
31	103115/2019	75	103146/2019
32	103121/2019	76	103144/2019
33	103078/2019	77	103143/2019
34	103076/2019	78	103142/2019
35	103075/2019	79	103141/2019
36	103074/2019	80	103136/2019
37	103071/2019	81	103135/2019
38	103067/2019	82	103134/2019
39	103066/2019	83	103133/2019

Authenticated

Registrar
Raj. Information Commission
JAIPUR

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

40	102943/2019	84	103132/2019
41	102942/2019	85	103130/2019
42	102941/2019	86	103129/2019
43	102939/2019	87	103126/2019
44	102937/2019	88	103125/2019

प्रत्यर्थी ने 24 पत्रावलियां ऐसी बताई है जिनमें आवंटन पत्र उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्रावलियों का विवरण अपील संख्या के अनुसार निम्नानुसार है।

क्र.सं.	अपील संख्या	क्र.सं.	अपील संख्या
1	103114/2019	13	103008/2019
2	103043/2019	14	103001/2019
3	103092/2019	15	102997/2019
4	103086/2019	16	103026/2019
5	103072/2019	17	103025/2019
6	103070/2019	18	103138/2019
7	103069/2019	19	103137/2019
8	102940/2019	20	103128/2019
9	102928/2019	21	103124/2019
10	103111/2019	22	103123/2019
11	103105/2019	23	102938/2019
12	103079/2019	24	102929/2019

प्रत्यर्थी ने 51 पत्रावलियां उनके पास उपलब्ध ही नहीं होना बताया है जिनका अपील संख्या कि अनुसार विवरण निम्नानुसार है:–

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission
JAIPUR

91 225

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	26	103082/2019
1	103150/2019	27	102948/2019
2	103065/2019	28	102946/2019
3	103058/2019	29	102962/2019
4	103057/2019	30	102960/2019
5	103055/2019	31	102958/2019
6	103052/2019	32	102957/2019
7	103035/2019	33	102974/2019
8	103062/2019	34	102971/2019
9	103101/2019	35	102970/2019
10	103098/2019	36	102967/2019
11	103094/2019	37	102993/2019
12	103090/2019	38	102990/2019
13	103089/2019	39	102989/2019
14	103117/2019	40	103004/2019
15	103077/2019	41	102994/2019
16	103073/2019	42	103013/2019
17	103068/2019	43	103012/2019
18	102934/2019	44	103010/2019
19	102933/2019	45	103009/2019
20	102932/2019	46	103147/2019
21	102931/2019	47	103145/2019
22	102930/2019	48	103140/2019
23	103110/2019	49	103139/2019
24	103108/2019	50	103131/2019
25	103107/2019	51	103127/2019

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission

राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर

11. प्रत्यर्थी पक्ष ने सुनवाई के दौरान यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलोत्तर की प्रति देकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, साथ ही आयोग के निर्देश पर प्रत्येक प्रकरण में पत्र दिनांक 10.08.2020 से पुनः सूचना/विनिश्चय/वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। प्रति प्रस्तुत की। अतिरिक्त तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया कि औद्योगिक सम्पदा 22 गोदाम, जयपुर स्थित औद्योगिक इकाइयां उद्योग विभाग द्वारा आवंटित एवं विनियमित, औद्योगिक क्षेत्र का जो कालांतर में रीको को अंतरित किया गया। इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कार्यालय रिकॉर्ड में 'लिस्ट ऑफ औद्योगिक सम्पदा 22 गोदाम, जयपुर' नामक सूची तो उपलब्ध परन्तु इसके आधार पर पत्रावलियों प्राप्त होने का कोई प्रमाण/अभिलेख मौजूद नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी औद्योगिक इकाइयों में से संबंधित पत्रावलियां वास्तव में प्राप्त हुई। उपस्थित अपीलार्थी पक्ष ने दोहराया कि प्रत्यर्थी गुमराह कर रहे है। बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए उन्हें जनहित में सूचनाएं दिलाई जाए तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए।

12. मैंने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना एवं पत्रावली का आद्योपांत परिशीलन किया। आवेदन में वांछित सूचनाओं के अवलोकन तथा अपीलार्थी के तर्कों से यह स्पष्ट है। कि चाही गई सूचनाएं व्यापक जनहित में है। प्रत्यर्थी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय कतई उचित नहीं कहा जा सकता कि वांछित सूचनाएं तृतीय पक्षकार की सूचनाएं होने के कारण देय नहीं है। सूचनाएं राजधानी जयपुर में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बेशकीमती जमीन के दस्तावेजों से संबंधित है। प्रत्यर्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि पुराने समय में उनके पास पत्रावलियां आने के कारण यह व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं हैं। सरकारी कार्यालय में पत्रावलियों का व्यवस्थित संधारण करना लोक प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। सिर्फ पुरानी पत्रावलियां होने के तर्क के साथ लोक प्राधिकरण अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। सूचना का अधिकार को लागू हुए 15 वर्ष हो चुके हैं जबकि धारा 4 के तहत अधिनियम लागू होने पर ही लोक प्राधिकरण को अपने रिकॉर्ड को व्यवस्थित/सूचीबद्ध एवं

Authenticated

Raj. ... sion

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अनुक्रमाणिकाबद्ध करना चाहिए था। सरकारी रिकॉर्ड से पत्रावलियां नहीं मिलाना या गायब होना तो अपने आप में एक अपराध है जिसके लिए दोषी कार्मिक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

13. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी को रिकॉर्ड में मौजूदगी के आधार पर उपलब्ध आवंटन पत्र प्रदान किए गए है जो अपीलार्थी ने भी स्वीकार किया है। बिन्दु संख्या 2 की सूचनाएं अनुमान के आधार पर सशर्त तौर पर चाही गई है जो प्रत्येक पत्रावली से निकाल कर संकलित कर व निष्कर्ष/व्याख्या कर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। परन्तु बड़ा प्रश्न यह है कि रीको जैसी बड़ी संस्था में बेशकीमती जमीन की अपनी ही सम्पदा का रिकॉर्ड सुरक्षित व व्यवस्थित नहीं है। यह अफसोसजनक है तथा सूचना का अधिकार के उद्देश्य में वर्णित पारदर्शिता की भावना के बिलकुल विपरित है। औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयां अभी भी संचालित हैं तथा इनका रिकॉर्ड नहीं होना आश्चर्य का विषय है।

14. उक्त विवेचनानुसार रीको के प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया जाता कि वे वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं से संबंधित औद्योगिक सम्पदा संबंधी गायब पत्रावलियों के बारे में सम्पूर्ण जांच करावें तथा मामले की तह तक जाएं। यह जांच कार्यवाही इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में पूर्ण कर ली जाए तथा इसकी रिपोर्ट को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए रीको की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाए। जांच के पश्चात पत्रावलियां मिलने पर अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 शेष सूचनाएं दे अन्यथा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध प्रक्रियागत आवश्यक कार्यवाही की जाए। रीको प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि संस्था मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की पालना सुनिश्चित करें।

15. वर्तमान समस्त 163 अपीलों को उक्त निर्देशानुसार निस्तारित किया जाता है।

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission
JAIPUR

88

222

16. निर्णय की प्रति उभय पक्षों के साथ प्रबंध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, जयपुर को भी पालनार्थ प्रेषित हो।

17. निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या CIC/JPR/A/102928/2019 की पत्रावली में तथा फोटो प्रति 103113/2019, 103149/2019, 103148/2019, 103064/2019, 103063/2019, 103061/2019, 103053/2019, 103050/2019, 103049/2019, 103046/2019, 103044/2019, 103042/2019, 103040/2019, 103034/2019, 103102/2019, 103100/2019, 103099/2019, 103097/2019, 103096/2019, 103095/2019, 103093/2019, 103091/2019, 103122/2019, 103088/2019, 103087/2019, 103120/2019, 103119/2019, 103118/2019, 103116/2019, 103115/2019, 103121/2019, 103078/2019, 103076/2019, 103075/2019, 103074/2019, 103071/2019, 103067/2019, 103066/2019, 102943/2019, 102942/2019, 102941/2019, 102939/2019, 102937/2019, 102936/2019, 102935/2019, 103109/2019, 103106/2019, 103104/2019, 103103/2019, 103085/2019, 103084/2019, 103083/2019, 102953/2019, 103081/2019, 102952/2019, 103080/2019, 102950/2019, 102949/2019, 102961/2019, 102955/2019, 102972/2019, 102968/2019, 102965/2019, 102991/2019, 102986/2019, 102985/2019, 103007/2019, 103005/2019, 103002/2019, 102998/2019, 103017/2019, 103015/2019, 103014/2019, 103144/2019, 103146/2019, 103143/2019, 103142/2019, 103141/2019, 103136/2019, 103135/2019, 103134/2019, 103133/2019, 103132/2019, 103130/2019, 103129/2019, 103126/2019, 103125/2019, 103114/2019, 103043/2019, 103092/2019, 103086/2019, 103072/2019, 103070/2019, 103069/2019, 102940/2019, 103112/2019, 103111/2019, 103105/2019, 103079/2019, 103008/2019, 103001/2019, 102997/2019, 103026/2019, 103025/2019, 103138/2019, 103137/2019, 103128/2019, 103124/2019, 103123/2019, 102938/2019, 102929/2019, 103150/2019, 103065/2019, 103058/2019, 103057/2019, 103055/2019, 103052/2019, 103035/2019, 103062/2019, 103101/2019, 103098/2019, 103094/2019, 103090/2019, 103089/2019, 103117/2019, 103077/2019, 103073/2019, 103068/2019, 102934/2019, 102933/2019, 102932/2019, 102931/2019, 102930/2019, 103110/2019, 103108/2019, 103107/2019, 103082/2019, 102948/2019, 102946/2019, 102962/2019, 102960/2019, 102958/2019, 102957/2019, 102974/2019, 102971/2019, 102970/2019, 102967/2019, 102993/2019, 102990/2019, 102989/2019, 103004/2019, 102994/2019, 103013/2019, 103012/2019,

राज्य सूचना आयोग जयपुर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

87
221

103010/2019, 103009/2019, 103147/2019, 103145/2019, 103140/2019, 103139/2019, 103131/2019, 103127/2019, में रखी जाए।

18. निर्णय घोषित।

(आशुतोष शर्मा)

Sajan

सूचना आयुक्त

Authenticated

Registrar

Raj. Information Commission

263

जांच रिपोर्ट

विषयः— कार्यालय आदेश क्रमांक आईपीआई/पी.3/संस्था/246/2021/512 दिनांक 23.02.2021 की अनुपालना में सम्पादित जांच कार्यवाही की रिपोर्ट।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय आदेश क्रमांक आईपीआई/पी.3/संस्था/246/2021/512 दिनांक 23.02.2021 द्वारा राजस्थान लोक सूचना आयोग द्वारा श्री गौरव जैन द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील मे प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 के बिन्दु संख्या 14 की अनुपालना अधोहस्ताक्षरकर्ताओं की एक समिति का गठन कर अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं से संबंधित औद्योगिक सम्पदा संबंधित गायब पत्रावलियों के बारे मे सम्पूर्ण जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त क्रम मे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा उक्त आदेश दिनांक 23.02.2021 के क्रम मे जांच कार्यवाही पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई थी। किन्तु राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल माह 2021 के मध्य से लागू किये गये लॉकडाउन के कारण तथा तत्पश्चात् कम संख्या मे उपस्थित हो रहे कार्मिकों की स्थिति के फलस्वरूप औपचारिक रूप से पूर्ण की गई जांच कार्यवाही टंकित प्रतिवेदन के रूप मे अब उपलब्ध कराई जा रही है। अतः जांच कार्यवाही निम्नानुसार हैः—

प्रकरण के तथ्य

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा श्री गौरव जैन, 63/107, हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत 163 द्वितीय अपील के क्रम मे प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 10.11.2018 से पृथक–पृथक 163 आवेदन प्रस्तुत करते हुए आवेदनों मे उल्लेखित 163 औद्योगिक इकाईयों के आवंटन की सत्यापित प्रति तथा इन इकाईयों मे आवंटन से लेकर आज तक हुए आवंटन व आवंटी तथा औद्योगिक इकाई मे उत्पादन की प्रकृति मे हुए परिवर्तन (यदि हुए हों) की कार्यालय टिप्पणी की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाने की मांग की। प्रत्यर्थी (राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक (इकाई प्रभारी), रीको लि. इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण)) के विनिश्चय से असंतुष्ट रहने तथा प्रथम अपील खारिज होने के कारण अपीलार्थी ने अन्ततः द्वितीय अपीलें आयोग मे प्रस्तुत की।

आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को प्रकरण मे सुनवाई की गई। उक्त दिनांक को दोनो पक्षों की बहस को सुनकर राज्य लोक सूचना अधिकारी, इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि शपथ पत्र पर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के साथ जवाब प्रस्तुत करें। यह भी निर्देशित किया गया कि जो सूचनाएं और उपलब्ध हुई हैं वे अपीलार्थी को प्रदान की जाये। उक्त आदेशों की अनुपालना मे निगम द्वारा सुनवाई के दौरान विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार 163 पत्रावलियों मे से 88 पत्रावलियों से संबंधित आवेदन पत्र की प्रतिलिपियां अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना अवगत कराया गया। उक्त पत्रावलियों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार निगम द्वारा 24 पत्रावलियां ऐसी भी बताई गई जिसमे आवंटन पत्र उपलब्ध नहीं हैं। उक्त पत्रावलियों का विवरण भी उपलब्ध

करवाया गया। इसी प्रकार 51 पत्रावलियां उपलब्ध नहीं होने की जानकारी विवरण सहित उपलब्ध करवाई गई।

आयोग द्वारा उक्त 51 पत्रावलियां इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे उपलब्ध नहीं होने को गंभीरता से लिया गया। उक्त निर्णय के अंत मे यह आदेश प्रसारित किये गये कि रीको के प्रबंध निदेशक वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं से संबंधित औद्योगिक सम्पदा संबंधी गायब पत्रावलियों के बारे मे सम्पूर्ण जांच करावें तथा मामले की तह तक जाएं। यह भी निर्देशित किया गया कि जांच रिपोर्ट को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए रीको की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जाए। जांच के पश्चात् पत्रावलियां मिलने पर अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 शेष सूचनाएं दें अन्यथा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध प्रक्रियागत आवश्यक कार्यवाही की जाए। रीको प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए जाते है कि संस्था मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की पालना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार निगम प्रबंधन द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 23.02.2021 जारी कर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं को उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 के बिन्दु संख्या 14 मे प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण मे की गई जांच कार्यवाही

अधोहस्ताक्षरकर्ताओं की समिति द्वारा सर्वप्रथम श्री राधाकिशन गुप्ता, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) को दिनांक 01.03.2021 को उनके पास उपलब्ध प्रकरण से संबंधित आरटीआई पत्रावली तथा अन्य संबंधित प्रलेखों के साथ जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। श्री गुप्ता द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण को औपचारिक रूप से जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जांच समिति द्वारा श्री गुप्ता को एक प्रारूप उपलब्ध करवाते हुए समस्त 163 भूखण्डों की सूचना तैयार कर जांच समिति के समक्ष 3 दिवस मे प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री गुप्ता को यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि वह पुनः इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे सम्भावित स्थानों का निरीक्षण करवाकर उक्त 51 लापता पत्रावलियों को खोजने का प्रयास करें।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना मे श्री गुप्ता दिनांक 04.03.2021 जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा निर्धारित प्रारूप मे उक्त 163 भूखण्डों की सूचना उपलब्ध करवाई। श्री गुप्ता द्वारा यह तथ्य भी अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा पुनः निरीक्षण करवाने पर उक्त 51 पत्रावलियों मे से 20 पत्रावलियां मिल गई हैं। श्री गुप्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त 20 पत्रावलियों मे से 13 पत्रावलियां ऐसी हैं जिनमे आवंटन पत्र उपलब्ध हैं तथा शेष 7 पत्रावलियो मे आवंटन पत्र उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार उक्त 51 पत्रावलियों मे से शेष 31 पत्रावलियां उपलब्ध नहीं होना बताया गया। तत्पश्चात् जांच समिति द्वारा श्री गुप्ता को निर्देशित किया गया कि जिस प्रकार 20 पत्रावलियां खोजी गई हैं उसी प्रकार शेष 31 पत्रावलियों को भी खोजने के पुनः प्रयास किये जाये। श्री गुप्ता को यह भी निर्देशित किया कि वह राज्य लोक सूचना आयोग के निर्णय मे उल्लेखित पत्रावलियां एवं अपील संख्या अनुसार पृथक–पृथक सूचियां तैयार कर पत्रावलियों को जांच समिति को अवलोकन करवाने की तैयारी करवायें। यह भी आदेशित किया गया कि उक्त 20 खोजी गई पत्रावलियों की भी सूची तैयार की जावे। श्री गुप्ता को निर्देशित किया गया कि वे वांछनीय

कार्यवाही पूर्ण कर, एक सप्ताह बाद जांच समिति को अवगत करायेंगे ताकि जांच समिति इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे निरीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।

उपरोक्त क्रम मे श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 15.03.2021 को अवगत कराया कि उनके द्वारा वांछित सूचियां व संबंधित पत्रावलियां निरीक्षण हेतु तैयार कर ली गई हैं। जिसके क्रम मे जांच समिति द्वारा दिनांक 17.03.2021 को इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) का भ्रमण किया गया। श्री गुप्ता द्वारा सर्वप्रथम उक्त 88 पत्रावलियों से संबंधित सूची तथा पत्रावलियां प्रस्तुत की गई। जांच समिति द्वारा उक्त सूची को आवेदक को उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित 88 पत्रावलियों की सूची से तुलना की गई तथा संबंधित 88 पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया गया। उक्त 88 पत्रावलियों की सूची **परिशिष्ठ स** पर संलग्न है। इसी प्रकार उक्त 24 पत्रावलियां के क्रम मे भी निरीक्षण किया गया। उक्त 24 पत्रावलियों की सूची **परिशिष्ठ द** पर संलग्न है। तत्पश्चात् जांच समिति को कथिक तौर पर गायब 51 पत्रावलियों की सूची उपलब्ध कराई गई। उक्त 51 पत्रावलियों की सूची **परिशिष्ठ य** पर संलग्न है। इन्ही 51 पत्रावलियों में से पाई गई 20 पत्रावलियों की भी पृथक से सूची उपलब्ध कराते हुए संबंधित पत्रावलियों का निरीक्षण कराया गया। उक्त 20 पत्रावलियों की सूची **परिशिष्ठ र** पर संलग्न है।

इस प्रकार इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई 163 इकाईयों के नाम वाली पत्रावली की सूची में से 132 पत्रावलियां उपलब्ध हैं। शेष 31 इकाईयों के नाम वाली पत्रावलियां कार्यालय मे उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। उक्त 31 इकाईयों के नामों वाली पत्रावलियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है जो कि **परिशिष्ठ ल** पर संलग्न है।

जांच समिति द्वारा प्रकरण मे इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) के श्री आर.के.गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं श्री विक्रम सिंह नामा, शाखा प्रभारी से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि इकाई प्रभारी, श्री आर.के.सिंह रूहेला, क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है (**परिशिष्ठ क**)। उक्त रिपोर्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) के औद्योगिक क्षेत्र, 22 गोदाम हेतु नियोजित मानचित्र मे उपलब्ध भूखण्डों के क्रम मे 155 इकाईयों हेतु भूखण्ड पत्रावलियां संधारित हैं तथा वर्तमान मे औद्योगिक क्षेत्र 22 गोदाम मे कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है तथा सभी भूखण्डों की सभी पत्रावलियां कार्यालय मे उपलब्ध हैं। रिपोर्ट द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र 22 गोदाम मे नियोजित सभी भूखण्डों का रिकॉर्ड उचित प्रकार से संधारित है। उक्त रिपोर्ट द्वारा औद्योगिक क्षेत्र 22 गोदाम हेतु नियोजित मानचित्र की प्रति एवं उक्त भूखण्ड पत्रावलियों की सूची उपलब्ध कराई गई है जो कि **परिशिष्ठ अ** पर संलग्न है।

उक्त रिपोर्ट द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कथित रूप से वर्ष 1980 मे रीको इकाई को उपलब्ध कराई गई 166 पत्रावलियों के क्रम मे पूर्व में कोई जानकारी श्री गुप्ता एवं श्री नामा को नहीं है। ऐसी कोई पत्रावली अथवा कोई कवर लेटर/अ.शा.टीप, जिसके माध्यम से उक्त कथित 166 पत्रावलियाँ मय सूची इकाई कार्यालय जयपुर (ग्रामीण) मे उपलब्ध नहीं है। उक्त रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त 166 पत्रावलियों की सूची में भूखण्ड संख्या का कहीं भी उल्लेख नहीं है, केवल क्रम संख्या, पत्रावली संख्या, इकाई का नाम, पेज संख्या एवं नोटशीट का उल्लेख है। इस विषय मे अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय आयुक्त उद्योग, जयपुर को पत्र दिनांक 30.03.2021 प्रेषित किया गया था और उक्त 166 पत्रावलियों सूची में उल्लेखित इकाईयों को आवंटित भूखण्ड

संख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचित किया गया था। उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ठ–व पर संलग्न है। उक्त पत्र के क्रम में कार्यालय आयुक्त उद्योग की ओर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त रिपोर्ट के अंत मे उल्लेख किया गया है कि चूंकि वर्तमान मे औद्योगिक क्षेत्र 22 गोदाम के सभी भूखण्डों से संबंधित पत्रावली उपलब्ध है, अतः उपरोक्त वर्णित अनुपलब्ध 31 पत्रावलियां आवंटन से संबंधित प्रतीत नहीं होती है।

श्री गुप्ता एवं श्री नामा द्वारा मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया कि उनके पास यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि उक्त पत्रावलियां इकाई कार्यालय के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की गई। यह भी कि उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक सम्पदा, 22 गोदाम जयपुर की पत्रावलियां निगम को सम्भलाये जाने की जानकारी उन्हें प्रथम बार संयुक्त निदेशक, उद्योग के पत्र क्रमांक एफ14( )आउ/इन्फ्रा/17 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ठ श पर संलग्न है।

निष्कर्ष:

जांच समिति द्वारा राजस्थान राज्य लोक सूचना आयोग द्वारा जारी निर्णय दिनांक 21.08.2020, उक्त क्रम मे इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे संधारित समस्त रिकॉर्ड एवं श्री राधाकिशन गुप्ता व श्री विक्रम सिंह नामा द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित तथ्यों का परिशिलन किया गया। राज्य लोक सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 21.08.2020 मे मुख्यतः उक्त 51 अनुपलब्ध पत्रावलियों के नहीं मिलने पर खेद व्यक्त करते हुए सम्पूर्ण जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा उक्त अनुपलब्ध 51 पत्रावलियों में से 20 पत्रावलियां खोजी जा चुकी हैं। अतः वर्तमान मे 31 पत्रावलियां ही अनुपलब्ध हैं।

जैसा कि इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) के संबंधित कार्मिकों द्वारा यह अवगत कराया जा चुका है कि औद्योगिक क्षेत्र, 22 गोदाम हेतु नियोजित समस्त भूखण्डों के क्रम मे 155 भूखण्ड पत्रावलियां उचित प्रकार से संधारित है। उक्त तथ्य का सत्यापन जांच समिति द्वारा भी किया जा चुका है। अतः यह कहा जा सकता है कि रीको द्वारा अपनी बेशकीमती औद्योगिक सम्पदा का रिकॉर्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संधारित है।

यह भी विचारणीय तथ्य है कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई 166 इकाईयों की पत्रावलियों की सूची मे भूखण्ड संख्या का कहीं भी उल्लेख नहीं है, उक्त सूची मे मात्र क्रम संख्या, पत्रावली संख्या, इकाई का नाम, पेज संख्या एवं नोटशीट का उल्लेख है। अतः यह कहना कठिन होगा कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कथित रूप से प्रेषित 166 पत्रावलियों में से अनुपलब्ध 31 पत्रावलियां निगम के 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र मे नियोजित कौनसे भूखण्डों से संबंधित है। क्योंकि इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे औद्योगिक क्षेत्र, 22 गोदाम की औद्योगिक सम्पदा से संबंधित सभी पत्रावलियां सुरक्षित रूप से संधारित है।

यह भी कि उक्त 166 पत्रावलियां की सूची मे उल्लेखित इकाईयों को आवंटित भूखण्ड संख्या उपलब्ध करवाने हेतु इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, कार्यालय आयुक्त, उद्योग को पत्र दिनांक 30.03.2021 प्रेषित किया गया था जिसके क्रम मे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 31 अनुपलब्ध पत्रावलियां निगम की औद्योगिक सम्पदा से संबंधित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) मे औद्योगिक क्षेत्र, 22 गोदाम की समस्त पत्रावलियां सुरक्षित रूप से संधारित हैं। यह भी कि प्रकरण 40 वर्षो से भी अधिक पुराना है तथा निगम के इकाई कार्यालय मे भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि तत्समय उक्त कथिक रूप से उपलब्ध कराई गई पत्रावलियां निगम के किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी। वर्तमान अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त 166 पत्रावलियों की सूची की जानकारी प्रथम बार संयुक्त निदेशक, उद्योग के पत्र क्रमांक एफ14( )आउ/इन्फ्रा/17 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्राप्त हुई। चूंकि वर्तमान अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र की समस्त औद्योगिक सम्पदा संबंधी पत्रावलियां उचित प्रकार से संधारित की जा रही हैं, अतः किसी भी कार्मिक पर उक्त कथित रूप से अनुपलब्ध 31 पत्रावलियों के क्रम मे दोषारोपण करना अव्यवहारिक एवं अनुचित प्रतीत होता है।

वर्तमान मे इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) को 20 पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से 13 पत्रावलियों मे आवंटन पत्र उपलब्ध हैं तथा शेष 7 पत्रावलियो मे आवंटन पत्र उपलब्ध नहीं हैं। अतः आवेदक को उक्त 13 पत्रावलियों के आवंटन पत्र की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती है तथा यदि आवेदक चाहे तो उन्हें शेष 7 पत्रावलियों का भी अवलोकन करवाकर चिन्हित दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती है।

उपरोक्तानुसार जांच रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

7/7/2021		7/7/21
(डी. के. शर्मा)	(दिनेश पहाड़िया)	(आर. के. लिम्बा)
अति. महाप्रबंधक (पीएण्डडी)	महाप्रबंधक (पीआर)	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

*****